न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 / 57 / 2018	11–05–2018	08–08–2018

01– रामखिलाड़ी पुत्र नन्दा जाति मीणा निवासी ग्राम नैंथला तहसील मालाखेड़ा, जिला अलवर राज०

अपीलाण्ट

बनाम

01– तहसीलदार, मालाखेड़ा, जिला अलवर

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार मालाखेड़ा
दिनांक 12..01.2018 अन्तर्गत धारा 91 भू0
राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 92 / 2017

उपस्थित :–

01– श्री गोविन्द राम यादव –वकील अपीलाण्ट

–:निर्णय:–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार मालाखेड़ा के आदेश दिनांक 12.01.2018 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम नैंथला की सरकारी चारागाह भूमि के आराजी खसरा नम्बर 848 रकबा 0.36 है०, पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर की गई है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम नैंथला की सरकारी चारागाह भूमि के आराजी खसरा नम्बर 848 रकबा 0.36 है० पर अवैध कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 15.09.2017 को पटवारी द्वारा करने पर अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने तीन माह का सिविल कारावास व लगान से दण्डित किया। अपीलांट को पश्चातवर्ति अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलांट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलार्थी को सिविल कारावास व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

हमनें अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपियों का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 05.04.2018 का भी अवलोकन किया जिसमें अपीलार्थी द्वारा कब्जा छोडना बताया गया है तथा रिपोर्ट तहसीलदार मालाखेड़ा द्वारा भी अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 19.06.2018 में विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलार्थी का अतिक्रमण नहीं होना बताया है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को सिविल कारावास के दण्ड से मुक्त किया जाता है। तथा दण्ड स्वरूप आरोपित पैनल्टी यथावत रखी जाती है एवं तहसीलदार मालाखेड़ा को आदेशित किया जाता है कि वह मौका परीक्षण कर एवं यदि अतिक्रमण यथावत पाया जाता है अथवा अपीलान्ट उक्त आराजी पर पुनः अतिक्रमण करता है, तो उसके विरूद्ध एल आर एक्ट के तहत 91(6) के तहत कार्यवाही की जावे।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 08–08–2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I)
न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)
ALWAR (RAJ.)

(ओ0पी0जैन)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)